राजस्व अपील संख्या : 11/2024
उनवान : फाऊडी बेन पुत्री स्व. गिरधारीलाल जाति धोबी निवासी बीजापुर तहसील बाली जिला पाली राज. अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 11/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/79

अपीलाण्ट्स :–

फाऊडी बेन पुत्री स्व. गिरधारीलाल
जाति धोबी, निवासी बीजापुर, तहसील
बाली जिला पाली राज.

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–

1. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली, तहसील बाली जिला पाली राज.
2. सुखलाल पुत्र उम्मेदमल बछेटा, जाति धोबी निवासी बीजापुर तहसील बाली जिला पाली राज. हाल4/62 ईश्वर नगर सोसायटी विमलनाथ बस स्टॉप के पीछे निर्णय नगर चान्द लोडिया रोड़, अहमदाबार गुजरात
3. अशोक कुमार पुत्र उम्मेदमल जाति धोबी निवासी बीजापुर तहसील बाली जिला पाली राज.
4. किस्तुर पुत्र खीमा, के कायम मुकाम वारिसान
   4.1 छगनलाल पुत्र स्व. किस्तुर के कायम मुकाम वारिसान
   4.1.1 सुरेश कुमार पुत्र छगनलाल
   4.1.2 जशोदा पुत्री छगनलाल
   4.1.3 कीकी बेन पत्नी छगनलाल
   4.2 कमला पुत्री स्व. किस्तुर
5. चेना पुत्र खीमा के कायम मुकाम वारिसान
   5.1 पुखराज पुत्र स्व. चेना के कायम मुकाम वारिसान
   5.1.1 रवि कुमार पुत्र पुखराज
   5.2 रमेश पुत्र स्व. चेना
   5.3 प्रकाश पुत्र स्व. चेना तमाम जातिगण धोबी, निवासीगण बीजापुर, तहसील बाली, जिला पाली राज हाल अहमदाबाद गुजरात

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 282 दिनांक 29.11.91 जो तहसीलदार बाली द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री हेमन्त बोहरा।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री जितेश भण्डारी।
3. रेस्पोडेण्ट संख्या 03, 4.1.1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजा जोशी।
4. रेस्पोडेण्ट संख्या 4.1.2, 4.2, 5.2, 5.3 की ओर से अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

–:निर्णय:–

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 11/2024

उनवान : फाऊडी बेन पुत्री स्व. गिरधारीलाल जाति धोबी निवासी बीजापुर तहसील बाली जिला पाली राज. अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

दिनांक: 08.10.2025

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर मौजा बीजापुर तहसील बाली के नामान्तरकरण संख्या 282 दिनांक 29.11.1991 जो तहसीलदार बाली द्वारा पारित नामान्तरकरण को निरस्त करवाने बावत प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया गया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट के दादा खीमा वल्द चेला एवं खीमा के पुत्र स्व. गिरधारीलाल पुत्र खीमा, जाति धोबी, निवासी बीजापुर तहसील, बाली की खातेदारी आराजी सरहद मौजा बीजापुर तहसील बाली में आयी हुई स्थित है जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

खाता संख्या नया 1432 पुराना 118		
खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म
375	0.7500	बारानी दोयम
925	0.5900	नहरी दोयम
कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.3400 हैक्टर		

यह कि स्वर्गीय खीमा वल्द चेला कौम धोबी, साकिन बीजापुर के नाम की खातेदारी कृषि भूमि सम्वत् 2052 से 2055 में अपील के पेरा संख्या एक में वर्णित अनुसार आयी हुई स्थित थी। स्वर्गीय खीमा वल्द चेला की मृत्यु के बाद उसकी वारिसान वंशावली अपील मीमों में वर्णितानुसार है।

यह कि स्वर्गीय खीमा वल्द चेला के वारिसान की उपरोक्त वंशावली अनुसार वारिसदार थे। खीमा वल्द चेला के पुत्र स्वर्गीय गिरधारीलाल के वारिसान अपीलाण्ट फाउडी बेन व उसकी माता मानी बेन ही एकमात्र वारिसदार थे। इसके अलावा कोई वारिसान नहीं था। रेस्पोडेण्ट संख्या दो सुखलाल उम्मेदराम का पुत्र है। जिससे रेस्पोडेण्ट संख्या दो सुखलाल उम्मेदराम की मृत्यु के बाद उसके हिस्से का हकदार है। सुखलाल, गिरधारीलाल का जायन्दा पुत्र नहीं है। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या दो लगाय पांच जाति से धोबी थे जो हिन्दु थे और हिन्दु विधि द्वारा गवर्न होते थे। स्व. गिरधारीलाल पुत्र खीमा की निर्वसीयत मृत्यु हो गई है जिस कारण स्व. गिरधारीलाल पुत्र खीमा की मृत्यु पर भरा जाने वाला फौतेदगी नामान्तरकरण में गिरधारीलाल की जगह केवल अपीलाण्ट का ही नाम दर्ज होना था एवं कानूनन आवश्यक व न्यायसंगत है। लेकिन स्व.खीमा पुत्र चेला के वारिसान स्व. उम्मेदराम के स्थान पर उसके वारिसान रेस्पोडेण्ट संख्या 02 सुखलाल व उसके परिवार के सदस्यो के नाम नामान्तरकरण व स्व. गिरधारीलाल पुत्र खीमा की मृत्यु पर भरा गया फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 282 में अपीलाण्ट का नाम स्व. गिरधारीलाल पुत्र खीमा के वारिसान के रुप में दर्ज नहीं कर तहसीलदार बाली द्वारा दिनांक 29.11.91 द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया जिसके विरुद्ध उक्त अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत है।

1. यह कि नामान्तरकरण जैर अपील विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विरुद्ध भरा जाने के कारण काबिल खारिज है।
2. यह कि यह निर्विवाद है कि अपीलाण्ट स्व. गिरधारीलाल पुत्र खीमा की पुत्री है लेकिन पटवारी हल्का बीजापुर ने जानबुझकर स्व. गिरधारीलाल पुत्र खीमा के फौत होने पर भरे गये फौतेदगी नामान्तरकरण जैर अपील में अपीलाण्ट का नाम दर्ज नहीं किया और जांच हेतु नामान्तरकरण भू अभिलेख निरीक्षक बीजापुर को प्रेषित कर दिया जिन्होंने भी बिना कोई जांच किये केवल राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया इन्द्राज

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

सही पाया का अंकर कर दिया और तहसीलदार बाली ने स्व. गिरधारीलाल पुत्र खीमा के वारिसान की बिना कोई जांच किये एवं बिना किसी तस्दीक के वादग्रस्त नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत कर दिया जो नामान्तरकरण विधि विधान के विरुद्ध होने से काबिल खारिज है।

3. यह कि नामान्तरकरण जैर अपील भरते समय पटवारी हल्का बीजापुर ने बिना किसी आधार स्व. गिरधारीलाल पुत्र खीमा के कायम मुकाम वारिसान की जांच किये बिना ही उक्त नामान्तरकरण में गिरधारीलाल के वारिसान पुत्र बताकर सुखलाल के नाम जैर अपील दर्ज कर दिया तथा इस बारे में कोई खुलासा नामान्तरकरण की पुस्त पर नही किया गया है। इस प्रकार केवल मात्र अपीलाण्ट को उसके हक अधिकारों से वंचित रखने के उद्देश्य से नामान्तरकरण जैर अपील भरा गया है जो विधि विधान के विरुद्ध होने से काबिल खारिज है।

4. यह कि नामान्तरकरण जैर अपील एक सोची समझी साजिश के तहत भरा गया है जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को नहीं दी गई ओर रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो ने बाले बाले राजस्व कर्मचारियों से मिलावट कर एवं ग्राम पंचायत से मिलावट कर अपने पक्ष में नामान्तरकरण भरवाकर अपने स्तर पर ही बिना जांच के स्वीकृत करवा दिया है जो नामान्तरकरण जैर अपील विधि विधान के विरुद्ध होने से काबिल खारिज है।

5. यह कि स्व. गिरधारीलाल पुत्र खीमा जाति से धोवी होने से हिन्दु थे और हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से गवर्न होते थे। स्व. गिरधारीलाल पुत्र खीमा ने वादग्रस्त भूमि बाबत् अपना कोई वसीयतनामा रेस्पोडेण्ट दो सुखलाल के पक्ष में नहीं लिखा था स्व. गिरधारीलाल पुत्र खीमा की निर्वसीयत मृत्यु हो जाने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार उसकी खातेदारी भूमि न्यागत होगी। उक्त धारा के अनुसार उत्तराधिकार अधिनियम की अनुसूची के वर्ग प्रथम में जो व्यक्ति मृतक का वारिस है उसको उस मृतक की सम्पति में हक प्राप्त होता है चूंकि स्वर्गीय गिरधारीलाल पुत्र खीमा की वारिस अपीलाण्ट ही उत्तराधिकारी अधिनियम की अनूसूची के वर्ग प्रथम की उत्तराधिकारी होने से वादग्रस्त भूमि में अपीलाण्ट का ही कानूनन हक व अधिकार आता है। धारा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार मृतक व्यक्ति की भूमि उसकी मृत्यु के समय लागू होने वाले उसके व्यक्तिगत उत्तराधिकारी कानून के अनुसार भूमि न्यागत होने का प्रावधान होने से उस अनुसार भी अपीलाण्ट वादग्रस्त भूमि की खातेदार दर्ज होने की अधिकारी है लेकिन नामान्तरकरण जैर अपील विधि के इस सुस्थापित सिद्धान्त के विरुद्ध होने से काबिल खारिज है।

6. यह कि अपीलाण्ट रेस्पोडेण्ट संख्या दो लगाय पांच के साथ संयुक्त पुश्तैनी खातेदारी भूमि पर काबिज होकर संयुक्त रुप से अपने पिता गिरधारीलाल पुत्र खीमा के पुश्तैनी हिस्से अनुसार काश्त करती आ रही है। लेकिन हाल ही में रेस्पोडेण्ट संख्या दो द्वारा अपीलाण्ट का यह धमकी दी गई की वादग्रस्त भूमि से मैं तुम्हे बेदखल कर दूंगा और वादग्रस्त भूमि को मै मेरे नाम से होने से अकृषि प्रयोजनार्थ परिवर्तन करवा रहा हूं व बेचा कर रहे है इस पर अपीलाण्ट ने जानकारी हासिल की एवं दिनांक 29.11.91 के नामान्तरकरण की पटवारी हल्का बीजापुर से नामान्तरकरण जैर अपील नकल मांगी जो नकल अपीलाण्ट को नकल दिनांक 08.02.2024 को प्राप्त हुई जिसका अवलोकन करने पर सर्वप्रथम नामान्तरकरण जैर अपील की जानकारी हुई और उसकी जानकारी होते ही अपीलाण्ट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त अपील तैयार करवाई जो

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 11/2024
उनवान : फाऊडी बेन पुत्री स्व. गिरधारीलाल जाति धोबी निवासी बीजापुर तहसील बाली जिला पाली राज. अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

अपील अपीलाण्ट द्वारा बिना किसी देरी के अन्दर अवधिकाल प्रस्तुत की जा रही है। अपील को देरी से पेश किये जाने के डिले को कण्डोन करने हेतु धारा 05 मर्यादा अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 282/29.11.91 को खारिज फरमाया जावे। एवं अपीलाण्ट का नाम स्व. गिरधारीलाल पुत्र खीमा के वारिसान के रुप में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 4/1/2 व 4/2 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह सही है कि अपील में वर्णित कृषि भूमि खीमा वल्द चेला की खातेदारी कृषि भूमि है जो सरहद मौजा बीजापुर में अपील में वर्णित अनुसार आई हुई है अपील में वर्णित स्वर्गीय खीमा वल्द चेलाजी की वंशावली सही होने से स्वीकार है। स्वर्गीय खीमा वल्द चेलाजी की मृत्यु के बाद उनके कानूनन उत्तराधिकारी का नामान्तरकरण होना कानूनन होना आवश्यक है। अपीलाण्ट की अपील कानूनन सही होने से स्वीकार फरमाया जाना आवश्यक है।

अधिवक्ता ने रेस्पोडेण्ट संख्या 5/2 व 5/3 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि यह सही है कि अपील में वर्णित कृषि भूमि खीमा वल्द चेला की खातेदारी कृषि भूमि है जो सरहद मौजा बीजापुर में अपील में वर्णित अनुसार आई हुई है अपील में वर्णित स्वर्गीय खीमा वल्द चेलाजी की वंशावली सही होने से स्वीकार है। स्वर्गीय खीमा वल्द चेलाजी की मृत्यु के बाद उनके कानूनन उत्तराधिकारी का नामान्तरकरण होना कानूनन होना आवश्यक है। अपीलाण्ट की अपील कानूनन सही होने से स्वीकार फरमाया जाना आवश्यक है।

रेस्पोडेण्ट संख्या एक, 4.1.3 तथा 5.1.1 बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है।

जैर अपील आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 282 की मूल परत तलब की गई एवं प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का निश्चय किया गया।

काबिल अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस निवेदन किया कि हल्का पटवारी बीजापुर द्वारा निराधार एवं अवैधानिक ढंग से आलोच्य नामान्तरकरण की परत पर स्व. खीमा वल्द चेला का वंशवृक्ष अंकित कर रेस्पोडेण्ट संख्या दो श्री सुखलाल पुत्र श्री उम्मेदराम को स्व. गिरधारीलाल का पुत्र अंकित करते हुए स्व. खीमा के पुत्र स्व. गिरधारीलाल के हिस्से की भूमि का उक्त श्री सुखलाल के नाम ज़रिए आलोच्य नामान्तरकरण इन्द्राज किया गया, जबकि स्व. गिरधारीलाल की एकमात्र वारिस व जायन्दा पुत्री अपीलाण्ट ही है। आलोच्य नामान्तरकरण के ज़रिए एवं अवैध तरीके से स्व. गिरधारीलाल की भूमि का हस्तान्तरण कर दिया गया एवं अपीलाण्ट को उसकी पुश्तैनी भूमि में विधिक अधिकारों से महरुम रखा गया।

काबिल अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष ने यह भी निवेदन किया कि प्रारम्भतः ही शून्य ऐसी कार्यवाही पर मियाद का बिन्दु लागु नहीं होता है, एवं यह भी कि आलोच्य नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 08.02.2024 को हल्का पटवारी से प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर हो पायी, फिर भी धारा 05 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रथक से प्रस्तुत किया गया है। अतः हस्तगत अपील को मियाद शुमार घोषित करते हुए आलोच्य नामान्तरकरण को निरस्त करते हुए स्व. गिरधारीलाल पुत्र खीमा के वारिस के रुप में अपीलाण्ट का नाम दर्ज करने का आदेश फरमावें।

काबिल अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 02 ने आलोच्य नामान्तरकरण की पूर्णतः वैधानिक एवं विचाराधीन अपील को सारहीन बताते हुए अपील को ख़ारिज करने का निवेदन किया। अधिवक्ता बज़तरफ रेस्पो. संख्या 03 एवं 4.1.1 ने भी उपरोक्तानुसार तर्क पेश किए।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 11/2024

उनवान : फाऊडी बेन पुत्री स्व. गिरधारीलाल जाति धोबी निवासी बीजापुर तहसील बाली जिला पाली राज. अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

काबिल अधिवक्तागण बज़तरफ रेस्पोडेण्ट संख्या 4.1.2, 4.2, 5.2, 5.3 ने अपीलाण्ट द्वारा अपील मीमो में अंकित तथ्यों को सही स्वीकार करते हुए अपील को स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं मूल नामान्तरकरण परत का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी द्वारा अपील मीमों के सहवर्ती प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित उनके सशपथ कथनों के खण्डन हेतु अप्रार्थीपक्ष ऐसा कोई तर्क या दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने में असफल रहा है, जिसके आधार पर कोई प्रतिकूल उपधारणा की जा सके। अतः अन्य प्रतिकूल विकल्प के अभाव में मियाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 में अंकित कथनों को प्रमाणित मानते हुए उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा देरी का उपशमन करते हुए हस्तगत नामान्तरकरण अपील को मियाद शुमार घोषित किया जाता है।

प्रकरण का मज़मून यह है कि स्व. खीमा वल्द चेला की मृत्यू के बाद हल्का पटवारी द्वारा उसके विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते हुए पुत्रगण किस्तुर, चेना तथा मृत पुत्रगण स्व. उम्मेद के पुत्र अशोक तथा उनकी माता एवं स्व. गिरधारीलाल के पुत्र के रुप में रेस्पोडेण्ट संख्या दो श्री सुखलाल का नाम इन्द्राज किया गया।

अपीलाण्ट द्वारा श्री सुखलाल के नाम इन्द्राज को हस्तगत अपील के माध्यम से इस आधार पर चुनौति दी गई कि सुखलाल स्व. गिरधारीलाल वल्द खीमा का पुत्र न होकर स्व. उम्मेदराम पुत्र खीमा का वारिस है तथा स्व. गिरधारीलाल की एकमात्र जायन्दा पुत्री एवं वारिस अपीलाण्ट है, जिसका नाम दर्ज न करते हुए हल्का पटवारी द्वारा ज़ैर अपील, आलोच्य नामान्तरकरण के द्वारा अवैध सजरा दर्शित कर ग़लत कार्यवाही प्रभाव में लाई है। अपीलाण्ट द्वारा अपील मीमों के पद संख्या दो में स्व. खीमा वल्द चेला की वंश वृक्षावली दर्शायी है।

इस संम्बन्ध में रेस्पोडेण्ट संख्या दो श्री सुखलाल द्वारा सुनवाई के दौरान किसी भी स्तर पर न तो उक्त वंश वृक्षावली को चुनौति दी है और न ही इस तथ्य का खण्डन किया है कि अपीलाण्ट स्वर्गीय गिरधारीलाल वल्द खीमा की जायन्दा पुत्री है। श्री सुखलाल द्वारा सम्पूर्ण सुनवाई के दौरान ऐसा कोई दस्तावेज यथा, गोदनामा या वसीयतनामा भी प्रस्तुत नहीं किया है जो उन्हें स्व. गिरधारीलाल के वारिस के रुप में उपधारणा करने में सहायक हो।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण अपील में अंकित तथ्य प्रमाणित तथा ज़ैर अपील आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 282 द्वारा स्वर्गीय खीमा वल्द चेला के पुत्र स्वर्गीय गिरधारीलाल के स्थान पर श्री सुखलाल का इन्द्राज अवैध पाया जाता है। अतः हस्तगत नामान्तरकरण अपील स्वीकार की जाकर पटवार हल्का बीजापुर से सम्बन्धित नामान्तरकरण संख्या 282 स्वीकृति दिनांक 29.11.1991 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बाली को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि स्व. खीमा वल्द चेला के समस्त विधिक वारिसों के सम्बन्ध में सम्यक् जांच करते हुए नए सर नामान्तरकरण की कार्यवाही प्रभाव में लावें।

निर्णय आज दिनांक **08.10.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली जिला-पाली
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

Scanned with OKEN Scanner